

दवाला और दवालियापन संहिता संबंधित अस्पष्ट ग्राहक अधिकार

संदर्भ

वर्ष 2016 में पारित दवाला और दवालियापन संहिता (आईबीसी), सभी सुधारों में एक अत्यंत प्रमुख पहल है, कति इसमें बहुत से क्षेत्रों को अपरभाषित ही छोड़ दिया गया है, जिनको लेकर हाल के दिनों में चर्चाएँ शुरू हो गई हैं और इसमें शामिल ऐसा ही एक अपरभाषित क्षेत्र ग्राहकों के अधिकारों से संबंधित है।

प्रमुख तथ्य

- जब आईबीसी 2016 पेश किया गया था, तो उसमें कंपनी के लेनदारों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जिसमें पहला, वित्तीय लेनदारों (बैंक और वित्तीय संस्थाएँ) और दूसरा परचालन लेनदारों (आपूर्तिकर्ताओं और वकिरेताओं) से संबंधित है।
- आईबीसी ने अन्य लेनदारों या ग्राहकों की स्थिति को संबोधित नहीं किया था जो इन दो श्रेणियों में से किसी एक में भी फिट नहीं हो सके हैं।
- इन अन्य लेनदारों में होमबॉयर्स, जमा धारक और ग्राहक जैसे सेगमेंट शामिल थे, जिन्होंने खरीदारी के लिये अग्रिम भुगतान भी किया था।
- गौरतलब है कि ग्राहकों संबंधी यह मुद्दा जेपी इंफ्राटेक के होमबॉयर्स, टेलीकॉम फर्म एयरसेल और नाथला ज्वैलर्स के मामले के दौरान प्रकाश में आया और अगस्त 2017 में कॉर्पोरेट दवालियापन प्रक्रिया नयियों में एक संशोधन के तहत एक नया नयिम जोड़ा गया।
- इस संशोधन के तहत वनियमन 9ए में लेनदारों की एक नई अवशिष्ट श्रेणी अर्थात् अन्य लेनदारों (वित्तीय और परचालन के अलावा सभी लेनदारों) को शामिल किया गया।
- यह वनियम रीजोल्यूशन प्रोफेशनल (RP) के साथ फॉर्म एफ को भरकर दवालियापन संहिता के तहत अन्य लेनदारों को एक फर्म के खिलाफ दावा दायर करने हेतु सक्षम बनाता है।
- अन्य लेनदारों संबंधी इस नयिम के बावजूद, अभी भी उन ग्राहकों के लिए अनिश्चितता है जिन्होंने कंपनी को अग्रिम भुगतान किया था।
- अभी भी मुख्य मुद्दा यह बना हुआ है कि क्या अग्रिम भुगतान करने वाले ग्राहकों को कंपनी के कर्जदार बैंकों और अन्य वकिरेताओं के सामान ही व्यापार के सामान्य नयियों के अनुसार समान व्यवहार किया जाएगा और क्या इस प्राथमिकता क्रम के अनुसार दवालियापन प्रक्रिया के तहत पुनर्भुगतान किया जाएगा।

क्या है 'द इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016'?

- पछिले ही वर्ष केंद्र सरकार ने आर्थिक सुधारों की दिशा में कदम उठाते हुए एक नया दवालियापन संहिता संबंधी विधेयक पारित किया था।
- गौरतलब है कि यह नया कानून 1909 के 'प्रेसीडेंसी टाउन इन्सॉल्वेन्सी एक्ट' और 'प्रोवेशियल इन्सॉल्वेन्सी एक्ट 1920 को रद्द करता है और कंपनी एक्ट, लमिटिड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और 'सेक्यूटाइजेशन एक्ट' समेत कई कानूनों में संशोधन करता है।
- दरअसल, कंपनी या साझेदारी फर्म व्यवसाय में नुकसान के चलते कभी भी दवालिया हो सकते हैं। यदि कोई आर्थिक इकाई दवालिया होती है तो इसका मतलब यह है कि वह अपने संसाधनों के आधार पर अपने ऋणों को चुका पाने में असमर्थ है।
- ऐसी स्थिति में कानून में स्पष्टता न होने पर ऋणदाताओं को भी नुकसान होता है और स्वयं उस व्यक्तिया फर्म को भी तरह-तरह की मानसिक एवं अन्य परताडनाओं से गुजरना पड़ता है।
- देश में अभी तक दवालियापन से संबंधित कम से कम 12 कानून थे जिनमें से कुछ तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं।

संबंधित कानूनी सुरक्षा क्या है?

इसमें कोई शक नहीं कि जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिये कानूनी सुरक्षा प्रदान करना ज़रूरी है। आईबीसी अभी अपने शुरुआती दिनों में है और इससे संबंधित मूल प्रश्न यह है कि वह अपने भन्नि-भन्नि ग्राहकों को किस तरह वर्गीकृत करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इन फर्मों के लिये ग्राहकों का व्यक्तिगत संपर्क छोटा हो सकता है लेकिन, सामूहिक रूप से वे बकाया धन का एक बड़ा हिससा भी बनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि वह कोड इस बड़े अछूते भाग को स्पष्ट करने के लिये शीघ्र ही आवश्यक कदम उठाएगा, जो मशरति प्रकार के इन ग्राहकों से संबंधित अहम मुद्दा रहा है और जहाँ त्वरति समाधान की ज़रूरत है।

